

भारत सरकार Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

वि.सा.भवन V.S. Bhavan,
अणुशक्तिनगर Anushakti Nagar,
मुंबई Mumbai 400 094.
Telephone:25487217/2548727

सं: निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/शिकायते/2022
Ref: DCSEM/Enff/Complaints/2022/201

मई May 05, 2022

परिपत्र CIRCULAR

विषय: विभागीय भवनों में साफ-सफाई का रखरखाव- संबंधित

Sub: Maintenance of cleanliness in departmental buildings- reg.

इस निदेशालय के संज्ञान में आया है कि विभागीय बिल्डिंगों के कुछ निवासी उच्च मंजिलों की खिड़कियों/बालकनी से कचरा जैसे गीला भोजन अपशिष्ट, सब्जी अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा आदि फेंक रहे हैं। यह भी देखा गया है कि कई निवासी अपने दरवाजे के आसपास घरेलू सामान जैसे जूते के रैक, साइकिल, पॉटिड प्लांट आदि जमा कर रहे हैं, जिससे मार्ग में बाधा आती है और कई बार अस्वच्छता की स्थिति पैदा होती है। It has come to the notice of this Directorate that some residents of Departmental quarters are throwing garbage like wet food waste, vegetable waste, plastic waste, etc. from windows/balconies of higher floors. It is also observed that many residents are also accumulating domestic items such as shoe racks, cycles, potted plants etc. around their doorstep thereby obstructing the passage and at times creating unhygienic conditions.

निवासियों से अपने परिवेश को साफ रखने की अपेक्षा की जाती है और सभ्य समाज में निवासियों के इस तरह के अस्वास्थ्यकर कार्य अत्यधिक अस्वीकार्य हैं। आस-पास अनुपचारित कचरा दुर्गंध पैदा करता है, कृन्तकों (चूहा आदि कतरने वाले जानवर) को आकर्षित करता है, और इस तरह के संचय को बीमारियों का कारण माना जाता है, खासकर कमजोर लोगों के लिए। इस तरह का कचरा बरसात के मौसम में ड्रेनेज सिस्टम को भी जाम कर देता है। Residents are expected to keep their surroundings clean and such unhealthy acts from the residents are highly unacceptable in a civilized society. Untreated garbage in surroundings emanates foul smell, attracts rodents, and such accumulation is known to cause diseases, especially to the vulnerable. Such waste also chokes up drainage systems in rainy season.

सरकारी आवास (परमाणु ऊर्जा विभाग) के आवंटन बॉम्बे नियम 1982 के नियम XV के अनुसार, जिस अधिकारी को आवास आवंटित किया गया है, वह संपत्ति प्रबंधन निदेशालय और अधिकारियों के लिए आवास और परिसर को साफ स्थिति में बनाए रखेगा। आवंटिती की ओर से इस नियम के प्रावधानों के विपरीत कोई भी कार्य आवंटिती के जोखिम और लागत पर संपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा उचित समझा जाएगा और आवंटन भी रद्द किया जा सकता है। As per Rule XV of Allotment of Government Residences (Department of Atomic Energy) Bombay Rules 1982, the official to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Directorate of Estate Management. Any act on the part of the allottee contrary to the provisions of this rule shall be dealt with as deemed fit by the Directorate of Estate Management at the risk and cost of the allottee and the allotment is also liable to be cancelled.

इसलिए अणुशक्तिनगर टाउनशिप/पऊवि कालोनियों के सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे आवंटन नियमों का कड़ाई से पालन करें और विभागीय क्वार्टरों में और उसके आसपास साफ-सफाई बनाए रखें। All residents of Anushaktinagar Township/DAE colonies are therefore requested to strictly abide by the Allotment Rules and maintain cleanliness in and around the departmental quarters.

इस मामले में सभी निवासियों का सहयोग अपेक्षित है। Cooperation from all the residents is solicited in this matter.

शैलजा प्रकासम
5/5/2022
(शैलजा प्रकासम Shallaja Prakasam)
मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer

मुंबई में अणुशक्तिनगर/पऊवि कालोनियों में सभी कर्मचारियों/निवासियों को नोटिस बोर्ड के माध्यम से - संबंधित रखरखाव इकाइयों के माध्यम से और प्रदर्शन/व्यापक प्रचार के लिए भी। All employees/residents in Anushaktinagar/DAE Colonies in Mumbai through Notice Board - Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

प्रतिलिपि Copy To:

1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर CSO, Anushaktinagar.
2. सचिव, आरवा/मारवा/डब्ल्यूएसआरडब्ल्यू Secretary, ARWA, MRWA, WSRWA.